न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2022/104

मिसल नम्बर–21/2022

बाला उम्र 85 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी जाति मीणा निवासी ग्राम बक्शपुरा नायब तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान

1/1.मोतीलाल उम्र 60 वर्ष आत्मज स्वर्गीय बाला जी

1/2.सुखलाल उम्र 55 वर्ष आत्मज स्वर्गीय बाला जी

1/3.सोसर बाई उम्र 57 वर्ष पुत्री स्वर्गीय बाला जी

1/4.सुमित्रा बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री स्वर्गीय बाला जी

1/5.इन्द्रा बाई उम्र 43 वर्ष पुत्री स्वर्गीय बाला जी

1/6.मोत्या बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री स्वर्गीय बाला जी निवासी ग्राम बक्शपुरा नायब तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.अमरलाल उम्र 60 वर्ष आत्मज श्री भैरूलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बक्शपुरा नायब तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा कोटा

2.राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि व लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 17/6/25

उपस्थिति:–

1.श्री जगदीश खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

2.श्री दयाराम सेन अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं परिवारजनों सहखातेदारान के खातेदारी व मालिकाना कब्जे स्वामित्व व कब्जे काश्त वाली अन्य खसरा नम्बरान वाली आराजीयात के साथ वाली कृषि आराजी ग्राम रावंठा नायब तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर–116 रकबा 1.25 है० व खसरा नम्बर–105 रकबा 1.66 है0 वाली आराजीयात स्थित चली आ रही है। यह खसरा नम्बरान वाली आराजीयात वादी के ही पास उसके हक हिस्से में अन्य सहखातेदारान के साथ वादी के हुऐ पूर्व मौखिक पारिवारिक समझौते के अधीन कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी उक्त वर्णित आराजीयात को स्वंय व अपने पुत्रो परिवार जनो की सहायता से काश्त करता चला आ रहा है। वादी के मालिकाना कब्जे काश्त व सहखातेदारी वाली उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर–105, 116 के समीप ही

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादी नम्बर–1 की आराजी खसरा नम्बर–107 रकबा 2.59 है० आराजी स्थित है। प्रतिवादी नम्बर–1 की खातेदारी वाली आराजीयात खसरा नम्बर 107 रकबा 2.59 है० की आराजी व खसरा नम्बर–110 रकबा 1.89 है0 अन्य काश्तकार रामकैलाश की आराजी स्थित है। वादी के खेत खसरा नम्बर–105, 116 में आने जाने का रास्ता अरसे पूर्व से खसरा नम्बर –107 व 110 के मध्य उत्तरी कोने से इन दोनो खसरा नम्बरान के मध्य की मेड से दक्षिण की ओर जाने वाली मेड के दोनो ओर करीब 5–5 फुट कुल 10 फुट करीब का रहा रास्ता विध्यमान व उपलब्ध अरसे पूर्व से उपयोग वाला बिना किसी बाधा व बिना किसी व्यवधान के निरन्तर चला आ रहा हुआ रहा है। इसी रास्ते से वादी व अन्य दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले अपने खेतो वाले काश्तकार भी इसी रास्ते को उपयोग में लेते हुऐ निरन्तर चले आ रहे है। तथा इस रास्ते से पैदल, मोटर साइकिल, ट्रेक्टर ट्रोली, बैलगाडी आदि साधनो से भी अपने खेत वाली काश्त करने, संभालने व लाने ले जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे हुऐ रहे है। अभी गत कुछ माह पूर्व ही प्रतिवादी क्रम–1 अमरलाल ने अपने खेत खसरा नम्बर –107 के पूर्वी मेड के मध्य में, जहां खसरा नम्बर– 110 की दक्षिणी सीमा समाप्त होती है, वहां से दक्षिण दिशा की ओर तक की मेड के दोनो ओर बने रास्ते को समाप्त कर अपने पत्थरो का कोट जबरन बनाकर इस रहे रास्ते को समाप्त कर दिया है अर्थात खसरा नम्बर–110 के काश्तकार रामकैलाश ने अपने खेत खसरा नम्बर–110 की पश्चिमी मेड, जो खसरा नम्बर–110, 107 के मध्य तक स्थित है, वहां पर खसरा नम्बर–110 के काश्तकार रामकैलाश ने अपने खेत की पश्चिमी मेड से पूर्व दिशा की ओर करीब 5 फुट रास्ते हेतु छोडकर अपना कोट बनाकर इस जगह को रास्ते के लिए छोड दिया हुआ रहा है। उस जगह को भी प्रतिवादी नम्बर–1 अमरलाल ने अपने खेत खसरा नम्बर –107 की पूर्वी मेड को तोड़कर अपने खेत खसरा नम्बर–107 में शामिल कर वहां स्थित रास्ते को समाप्त कर रास्ते को बंद कर दिया तथा अपने खेत खसरा नम्बर–107 की शेष रही पूर्वी मेड से दक्षिण की ओर स्थित रास्ते को समाप्त कर अपने पत्थरो का कोट गढ़कर चले आ रहे रास्ते को बंद कर दिया। प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा उक्त प्रकार से वादी के मालिकाना कब्जे स्वामित्व व सहखातेदारी वाले तथा अपने हक हिस्से वाले खेत खसरा नम्बर –105 व खसरा नम्बर–116 में जाने वाले उक्त वर्णित एक मात्र खसरा नम्बर–107 तथा 110 व 116 के मध्य में मेड के दोनो तरफ 5–5 फुट चौड़े वाले रास्ते को ताकत के बल पर बिना किसी हक अधिकार के कानून को हाथ में लेते हुऐ विधि विरूद्ध रूप से रास्ते पर कब्जा कर अपना पत्थरो का कोट बना लिये जाने से वहां से वादी व अन्य आस –पास के खेत वालो के खेतो में जाने वाले एक मात्र रास्ते का उपयोग–उपभोग बंद हो गया तथा वादी व अन्य लोगो को अपने खेतो पर काश्त हेतु जाने आने में व काश्त हेतु बैलगाडी, ट्रेक्टर, मोटर साइकिल आदि से काश्त वाले सामान बीज, खाद व फसल को लाने ले जाने के बंद हो जाने से काफी अधिक नुकसान व क्षति हुई है। इस बाबत वादी व परिवारजनो तथा अन्य आस–पास खेत वालो ने भी प्रतिवादी नम्बर–1 से उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से इस अरसे पर्व से चले आ रहे रास्ते को उक्त रूप से अवरूद्ध, बंद कर दिये जाने को खुलासा करने हेतु निवेदन व तकाजे भी किये, लेकिन प्रतिवादी नम्बर–1 ने उस पर कोई ध्यान नही दिया और लडाई–झगडा करने पर आमदा हो गया। तब तत्पश्चात मजबूर होकर वादी व पुत्र हीरालाल ने प्रतिवादी नम्बर–2 के यहां प्रार्थना– पत्र उक्त बाबत पेश करने पर वहां से हल्का पटवारी के द्वारा जांच करवाये जाने पर हल्का पटवारी ने भी मौके पर जाकर उक्त प्रकार से बरसो पूर्व से रहे व चले आ रहे उक्त वर्णित रास्ते के बंद हो जाने को मानकर इस बाबत प्रतिवादी नम्बर–1 व उसके पुत्र को मौके पर बुलाकर उनसे रास्ते को खुलासा किये जाने हेतु कहने पर भी वह इसके

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वे तैयार नही हुए और अनर्गल रूप से अपना जवाब व जवाबदेही की। वादी द्वारा प्रतिवादी नम्बर 2 व सम्बन्धित अधिकारियो व कर्मचारियो से उक्तानुसार विवाद वाली जगह पर राजस्व रिकॉर्ड मे कायम किये गये रास्ते को व चले आ रहे रास्ते मे प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा लगाये गये अवरोध को हटवाते हुऐ उसे खुलासा करवाने के साथ साथ राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे में उक्त रास्ते बाबत का अमल दरामद करवाने की कहने पर भी उन्होने सक्षम न्यायालय में इस बाबत वाद / प्रार्थना पत्र / कार्यवाही कर वहां से आदेश लाने की सलाह दी। चूंकि वादी के खेत खसरा नम्बर–105 व 116 व अन्य आस –पास के खेतो वालो का अपने खेतो में जाने आने का व उपयोग–उपभोग मे बरसो आते रहे उक्त वर्णित एक मात्र रास्ते को उक्त प्रकार से अनाधिकृत रूप से बिना किसी हक अधिकार के प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा गत कुछ महिनो से अवरूद्ध कर दिये जाने से व इस बाबत प्रतिवादी नम्बर–1 से उक्त रास्ते को खुलासा किये जाने हेतु निवेदन करने पर भी तथा प्रतिवादी नम्बर–1 से यह कहने पर भी कि उक्त रास्ते के अलावा वादी व अन्यो को अपने खेतो में जाने का अन्य कोई भी सुगम सीधा नजदीक वैकल्पिक रास्ता भी नही है, इस कारण से प्रतिवादी नम्बर–1 से रास्ते को खुलासा करे और स्वयं द्वारा रास्ते पर लगाये गये पत्थरो के कोट को स्वंय हटाकर वहां स्थित रहे रास्ते को खुलासा करे, लेकिन इसके लिए प्रतिवादी नम्बर–1 तैयार नही हुआ। यहां यह लिखना उचित है कि वहां स्थित पडौस का खसरा नम्बर–110 का खातेदार रामकैलाश अपने खेत में से पश्चिमी दिशा वाली मेड के पहले 5 फूट की जगह को रास्ते के लिए पूर्ववत छोडने को तैयार व तत्पर रहा है। उक्तानुसार वादी के लिए इस सम्माननीय न्यायालय में उक्तानुसार रहे पूर्व उपयोग–उपभोग वाले रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे में अंकन करवाने के साथ पूर्ववत कायम करवाने व रास्ते में उक्तानुसार प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा किये गये अवरोध पत्थरो के कोट व रास्ते की जगह को अपने खेत मे शामिल कर लिये जाने के कृत्य को हटाने व रास्ते को खुलासा करवाने हेतु इस सम्माननीय न्यायालय में यह वाद / कार्यवाही पेश करने को बाध्य होना पडा है। अतः प्रार्थना है कि वादी / प्रार्थी का वाद / प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी नम्बर–1 के विरूद्ध वादी के खेत खसरा नम्बर–105, 116 में आने जाने का अरसे पूर्व वाला रास्ता खसरा नम्बर–107 व 110 के मध्य उत्तरी कोने से इन दोनो खसरा नम्बरान के मध्य की मेड से दक्षिण की ओर जाने वाली मेड के दोनो ओर करीब 5–5 फुट कुल 10 फुट करीब का, रहे विध्यमान व उपलब्ध रास्ते में प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा लगाया अवरोध पत्थरो के कोट, कोट को हटाकर रास्ते को खुलासा करवाया जाकर पूर्व की भाति कायम करवाने व उक्तानुसार तदनुसार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे में अमल दरामद के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी पारित फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। प्र्याप्त अवसर दिये जाने के उपरात भी अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण में दिनांक 02.11.2022, 07.04.2025, 13.05.2025 एवं 21.05.2025 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा शामलाती खसरा सं0 116 रकबा 1.25 है0 तक आने जाने हेतु अप्रार्थी अमरलाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा की आराजी खसरा संख्या 107 रकबा 2.59 है0 की उत्तरी मेड एवं पडौसी खातेदार के खसरा संख्या 110 रकबा 1.89 है0, रामकैलाश पुत्र ओंकार की आराजी के पश्चिमी मेड के मध्य से होकर जाते है खसरा नं0 110 के खातेदार द्वारा मात्र 4–5 फीट ही रास्ता छोड़कर बाकी पर पत्थर कोट कर दिया गया है तथा शामलाती खसरा नं0 116 व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के खातेदारों द्वारा केवल पैदल मार्ग ही दिया हुआ है। प्रार्थी बाला का खसरा संख्या व 105 में 1/12 वां हिस्सा निहित है। आपसी समझौते से सहखातेदारों ने विभाजन कर रखा है जिसके तहत प्रार्थी के वारिसान खसरा संख्या 105 रकबा 1.66 पर कब्जा काश्त हैं अतः खसरा संख्या 107 व 116 की लगवा स्थिति में खसरा नं0 116 में प्रार्थी स्वयं सहखातेदार होने के कारण इस बिन्दु पर खसरा नं0 107 के बजाय 116 में रास्ता कायम किया जाना उचित है, इसी प्रकार खसरा संख्या 105 में पहुँच हेतु खसरा नं0 116 में कायम किये गए रास्ते के आगे खसरा संख्या 106 में रास्ता कायम किया जाना उचित है क्यूकि खसरा संख्या 116 का काफी भूमि रास्ते प्रयोजनार्थ जा रही है। मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में ख0नं0 116 एवं 105 तक आने जाने का कोई रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नही है। उक्त आराजी तक कृषि कार्य के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। पूर्व में आपसी सहमति से ही कृषि कार्य करते आये है लेकिन वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की मेड पर पत्थर कोट बन जाने से कृषि कार्य में परेशानी आ रही है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का कथन किया।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में ख0नं0 116 एवं 105 तक आने जाने का कोई रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नही है। उक्त आराजी तक कृषि कार्य के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। पूर्व में आपसी सहमति से ही कृषि कार्य करते आये है लेकिन वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की मेड पर पत्थर कोट बन जाने से कृषि कार्य में परेशानी आ रही है। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान में रास्ता नहीं है, किन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य के लिए रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 105, 116 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नं0 107 व 109 की मेड के दोनो तरह 64 मी0 लम्बा 4 मीटर चौड़ा, खसरा नं0 107 व 110 की मेड के दोनो तरह 80 मी0 लम्बा 4 मीटर चौड़ा, खसरा नं0 107 व 116 की मेड के दोनो तरह 64 मी0 लम्बा 4 मीटर चौड़ा, खसरा नं0 106 की उत्तरी मेड से 72 मी0 लम्बा 4 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तहसील द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर डीएलसी दर से दोगुनी राशि सम्बधित खातेदारों को उपलब्ध करावें व तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा